<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा.सं. 6/15/2026-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 20 मार्च, 2026

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

मामला संख्याः -एडी(ओआई) (14/2026)

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कुछ एज़ेपाइन इंटरमीडिएट्स, अर्थात आईएसबीसीसी और 10 एमआईएसबी और उनके प्रिकर्सर, आईडीबी" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' अथवा "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कुछ एज़ेपाइन मध्यवर्ती, अर्थात आईएसबीसीसी और 10एमआईएसबी और उनके प्रिकर्सर, आईडीबी" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध सामान" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से भारत में पाटित कीमतों पर संबद्ध सामान आयात किए जा रहे हैं और वे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचा रहे हैं। आवेदक ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का

अनुरोध किया है। आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात पर अंतरिम शुल्क की भी मांग की है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "कुछ एज़ेपाइन इंटरमीडिएट्स, अर्थात आईएसबीसीसी (इमिनोस्टिलबीन कार्बोनिल क्लोराइड) और 10 एमआईएसबी (10-मेथोक्सीमिनोस्टिलबीन), और उनके प्रिकर्सर , आईडीबी (इमिनोडिबेन्ज़िल)" हैं। संबद्ध सामान रासायनिक यौगिक हैं जिनमें सामान्य एज़ेपाइन रिंग प्रणाली होती है और एपीआई के संश्लेषण में उपयोग की जाती हैं।

4. विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित सीएएस संख्या के अनुरूप हैं:

क) सीएएस संख्या: 494-19-9 जिसे आईडीबी/इमिनोडिबेन्ज़िल (10,11-डाइहाइड्रो-5एच-डिबेंज़[बी,एफ]एज़ेपाइन) के रूप में भी जाना जाता है जिसका रासायनिक सूत्र सी14एच13एन है

ख) सीएएस संख्या: 33948-22-0 जिसे आईएसबीसीसी/इमिनोस्टिलबीन कार्बोनिल क्लोराइड के रूप में भी जाना जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र सी15एच10सीआईएनओ है

ग) सीएएस संख्या: 4698-11-7 जिसे 10-एमआईएसबी (10-मेथॉक्सीइमिनोस्टिल्बीन) के रूप में भी जाना जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र सी15एच13एनओ है

5. आवेदक ने अनुरोध किया है कि एज़ेपाइन इंटरमीडिएट्स अर्थात आईएसबीसीसी और 10 एमआईएसबी, और उनके प्रिकर्सर आईडीबी एक उत्पाद हैं। यह देखा जाता है कि आईएसबीसीसी और 10 एमआईएसबी को केवल आईडीबी में प्रसंस्करण से प्राप्त किया जा सकता है। परिणामों को संसाधित करने से आईएसबीसीसी में परिणाम आते हैं। आगे संसाधित होने पर आईएसबीसीसी के परिणामस्वरूप 10 एमआईएसबी का उत्पादन होता है। विचाराधीन उत्पाद में सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) के संश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले विशेषता रासायनिक मध्यवर्ती शामिल हैं, विशेष रूप से जिनका उपयोग एंटीकॉन्वल्सेंट और एंटीसाइकोटिक दवाओं के लिए किया जाता है। जबकि आईडीबी का कुछ स्वतंत्र उपयोग है, यह आईडीबी की कुल खपत के 5% से भी कम है। आईडीबी, आईएसबीसी और 10 एमआईएसबी सामान्य अनुप्रवाह चिकित्सीय उद्देश्यों की सेवा करते हैं। उनमें एक सामान्य संरचनात्मक रूपांकन है

और केवल परिभाषित स्थानों पर पेश किए गए विशिष्ट कार्यात्मक समूहों में भिन्नता है, जो एक एकीकृत सिंथेटिक मार्ग में उनके चरणबद्ध रासायनिक रूपांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। आईडीबी, आईएसबीसीसी और 10 एमआईएसबी डिबेंज़ाज़ेपाइन रिंग सिस्टम पर आधारित है - एक ट्राइसाइक्लिक संरचना जिसमें दो बेंजीन रिंग सात सदस्यीय एज़ेपाइन रिंग से जुड़े होते हैं जिसमें एक नाइट्रोजन परमाणु होता है। उनके उत्पादन श्रृंखला में प्रत्येक चरण में डिबेंज़ाज़ेपाइन रिंग ढांचे को बदले बिना कार्यात्मक समूह परिवर्तन शामिल है।

6. सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) बनाने के लिए मध्यवर्ती के रूप में संबद्ध सामानों का उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से एंटीकॉन्वल्सेंट और एंटीसाइकोटिक दवाओं के लिए। संबद्ध सामानों की विशिष्ट भूमिकाएँ इस प्रकार हैं:

क) आईडीबी आईएसबीसीसी और 10-एमआईएसबी का प्रिकर्सर है। इसका सबसे प्रमुख अनुप्रयोग कार्बामाज़ेपाइन और ऑक्सीकार्बाज़ेपाइन के संश्लेषण में एक मध्यवर्ती के रूप में है।

ख) आईएसबीसी आईडीबी का एक प्रत्यक्ष निचले स्तर का व्युत्पन्न है और कार्बामाज़ेपाइन के संश्लेषण में एक प्रमुख मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एंटीकॉन्वलसेंट दवाओं में किया जाता है और कुछ अनुप्रयोग एंटीसाइकोटिक दवाओं में भी पाया जाता है।

ग) 10-एमआईएसबी को आईएसबीसीसी से संश्लेषित किया जाता है और यह ऑक्ज़कार्बाज़ेपाइन के उत्पादन में एक मध्यवर्ती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एंटीकॉन्वलसेंट दवाओं में किया जाता है और कुछ अनुप्रयोग एंटीसाइकोटिक दवाओं में भी पाए जाते हैं।

7. संबद्ध वस्तुओं को सीमा प्रशुल्क अधिनियम की अनुसूची के अध्याय 29 के तहत जैविक रसायनों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। उत्पाद का कोई समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है और इसे 2921 30 90, 2922 19 90, 2931 90 90, 2933 19 20, 2933 99 10, 2933 99 90, 2934 99 90 के तहत आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

8. विचाराधीन उत्पाद भारत से बेचा जाता है और इसीलिए माप की इकाई मीट्रिक टन (एमटी) या किलोग्राम (केजी) में मानी जाती है।

9. आवेदक ने आईडीबी, 10 एमआईएसबी और आईएसबीसीसी को अलग-अलग पीसीएन के रूप में मानने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित पीसीएन इस प्रकार हैं:

क) सीएएस संख्या: 494-19-9 जिसे आईडीबी/इमिनोडिबेन्ज़िल (10,11-डाइहाइड्रो-5एच-डिबेंज़[बी,एफ]एज़ेपाइन) के रूप में भी जाना जाता है।

ख) सीएएस संख्या: 33948-22-0 जिसे आईएसबीसीसी/इमिनोस्टिलबीन कार्बोनिल क्लोराइड के रूप में भी जाना जाता है

ग) सीएएस संख्या: 4698-11-7 जिसे 10-एमआईएसबी (10 मेथॉक्सीइमिनोस्टिल्बीन) के रूप में भी जाना जाता है

10. संबद्ध जांच में सभी हितबद्ध पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के संबंध में तथा पीसीएन, यदि कोई है, के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव इस जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर दे सकते हैं। हितबद्ध पक्षकारों के लिए संगत साक्ष्य के साथ अपनी टिप्पणियां सिद्ध करने की अपेक्षा है।

ख. समान वस्तु

11. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। आयातित संबद्ध सामान और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध सामानों के उपभोक्ता आयातित संबद्ध सामानों और आवेदक द्वारा विनिर्मत वस्तु का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से आयात किए जा रहे उत्पाद की 'समान वस्तु' माना गया है।

ग. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

12. यह आवेदन-पत्र मैसर्स एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। रिकॉर्ड में मौजूद सूचना के अनुसार, आवेदक भारत में आईडीबी का एकमात्र घरेलू उत्पादक है।

जबकि आईएसबीसीसी और 10-एमआईएसबी अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित हैं, यह दावा किया गया है कि इनमें से अधिकांश उत्पादक अपने कच्चे माल यानी आईडीबी को आवेदक से या आयात के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और इसलिए उन्हें कुल भारतीय उत्पादन में अलग से शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि आईएसबीसीसी और 10-एमआईएसबी के अन्य उत्पादक केवल कैप्टिव उद्देश्यों के लिए उत्पादन कर रहे हैं और इस प्रकार व्यापारी बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं।

13. आवेदक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में संबद्ध सामानों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया, जिसमें आईडीबी अगस्त 2022 में शुरू हुआ, आईएसबीसीसी नवंबर 2022 में शुरू हुआ, और 10 एमआईएसबी फरवरी 2023 में शुरू हुआ।

14. इसके अतिरिक्त, आवेदक ने अनुरोध किया है कि वह संबद्ध देश में किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में संबद्ध सामानों के किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं है, और न ही उन्होंने संबद्ध सामानों का आयात किया है। उपलब्ध सूचना के आधार पर और उचित जांच के बाद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अभिप्राय से भीतर पात्र 'घरेलू उद्योग' है और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार आधार के मानदंड को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

15. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

ड. जांच की अवधि

16. आवेदक ने जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 (12 माह) का प्रस्ताव रखा था। प्राधिकारी ने जांच के उद्देश्य से आवेदक द्वारा प्रस्तावित अवधि पर विचार किया है। क्षति जांच की अवधि में 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 और जांच की अवधि शामिल होगी।

च. कथित पाटन का आधार

क. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

17. घरेलू उद्योग ने चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क) (i) का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8 (3) के संदर्भ में संबद्ध सामानों का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि यदि उत्तर देने वाले चीनी उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत की सूचना बाजार संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के संदर्भ में की जानी चाहिए।

18. आवेदक ने अनुरोध किया है कि चूंकि भारत और चीन संबद्ध सामानों के एकमात्र उत्पादक देश हैं, इसलिए सामान्य मूल्य की गणना किसी तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश में कीमत के आधार पर नहीं की जा सकती है। आवेदक ने भारत में उत्पादन लागत, एसजीए व्यय के अतिरिक्त और उचित लाभ के आधार पर भारत में देय कीमत के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

19. जांच की शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए, भारत में एसजीए व्यय और लाभ के लिए उचित समायोजन के साथ भारत में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।

20. हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियां दें और विधिवत प्रमाणित दावे करें।

निर्यात कीमत

21. आवेदक ने बाजार आसूचना के आधार पर निर्यात कीमतों का दावा किया है। आयात के लिए भारत में आयात के लिए सूचित किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरुआत के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार मानी गई है। समुद्री माल भाड़ा, मालसूची वहन लागत, क्रेडिट

लागत, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय माल भाड़ा व्यय, बंदरगाह व्यय और बैंक शुल्क के निमित्त कीमत समायोजन का दावा किया गया है।

ग) पाटन मार्जिन

22. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जो *प्रथम दृष्टया* दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. <u>क्षति और कारणात्मक संपर्क का साक्ष्य</u>

23. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार गया है। पूरी क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध सामानों की मात्रा काफी रही है। आवेदक द्वारा आधार वर्ष में संबद्ध सामानों का उत्पादन शुरू करने के बाद 2023-24 में पंजीकृत संबद्ध आयात में कुछ गिरावट आई, हालांकि इसके बाद आयात में वृद्धि हुई। आवेदक ने दावा किया है कि आयात की पहुंच कीमत में उत्पादन लागत के तदनुरूप गिरावट के बिना भारी गिरावट दर्ज की गई है। संबद्ध आयात का घरेलू कीमतों पर ह्रासमान प्रभाव पड़ा है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि पाटित आयातों के प्रतिकूल मात्रा और कीमत प्रभाव के कारण, नकद लाभ, लाभ और निवेश पर आय आदि के संबंध में उनका निष्पादन खराब हो गया है। आवेदक के पास औसत मालसूची में क्षति की अवधि में काफी वृद्धि हुई है। यह दावा किया गया है कि आयात की कीमत में गिरावट के साथ घरेलू उद्योग का निष्पादन तेजी से गिर गया।

24. आवेदक द्वारा दी गई सूचना से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। चूंकि विचाराधीन उत्पाद के तीन रूप हैं और आवेदक ने तीनों रूपों का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए आवेदक ने आईडीबी, आईएसबीसीसी और 10 एमआईएसबी की मात्रा को रैखिक आधार पर जोड़कर क्षति की सूचना प्रस्तुत की है और आईडीबी के समकक्षों के संदर्भ में मात्रा भी व्यक्त की है। यह दावा किया गया है कि क्षति की सूचना प्रस्तुत करने का बाद वाला विकल्प अधिक उपयुक्त है। तथापि, हितबद्ध पक्षकार क्षति

विश्लेषण की पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं और जांच के दौरान इसकी आगे जांच की जाएगी।

ज. <u>पाटनरोधी जांच की शुरुआत</u>

25. घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन-पत्र के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद का पाटन सिद्ध करने और उस पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क तथा घरेलू उद्योग को क्षति सिद्ध करने तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी, एतदद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में तथाकथित पाटन की मौजूदगी , मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरु करते हैं।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

26. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) पर पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारो से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और तद्नुरूपी मामला आईडी एडी/ओई/015/2026 के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का कथात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।

28. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादक/निर्यातक, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं, जो विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर पूरी संगत सूचना दायर कर सकें। ये सभी सूचनाएं इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना,

नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित किए गए अनुसार स्वरूप और तरीके से दायर की जानी चाहिएं।

29. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित किए गए अनुसार, स्वरूप और तरीके में वर्तमान जांच के संगत अनुरोध भी कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे उसका अगोपनीय रूपांतर अन्य पक्षकारों को भी उपलब्ध कराएं।

30. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर इस जांच के संबंध में किसी अद्यतन सूचना के लिए नियमित रूप से नजर रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट www.dgtr.gov. को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

31. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना उनके पंजीकृत नाम और तद्नुरूपी मामला आईडी-एडी/ओआई/015/2026 के तहत सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिएं। प्रत्येक अनुरोध के दोनों रूपांतर, गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) को आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते है।

32. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और इस अधिसूचना में

निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

33. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र/पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां दायर करने के लिए 15 दिन की अवधि इस जांच की शुरुआत अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

34. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को संशोधित करते है, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो समय का 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, समय के और विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

35. विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबद्ध पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

36. किसी भी पक्षकार को प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध या गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।

37. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्टों/उनके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर, अलग-अलग दायर करना अपेक्षित है।

38. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना" माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

39. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।

40. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, अधिमानतः सूचीबद्ध या खाली (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) और यह सूचना गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से सारभूत की जानी चाहिए।

41. अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तथा पर्याप्त एवं पूर्ण स्पष्टीकरण से युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक रूप से यह दर्शाना चाहिए कि वह सार संभव क्यों नहीं है।

42. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज़ों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

43. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या

सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।

44. नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

45. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतरों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ कराया जाएगा।

ढ. <u>असहयोग</u>

46. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी